

थाना बिंदकी पुलिस द्वारा थाना बिंदकी पर पंजीकृत सामूहिक बलात्कार के अभियोग से संबंधित 03 आरोपियों को 12 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार ।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 25.07.2025 को थाना बिंदकी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-290/2025 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग विरुद्ध 1. मनोज कुमार पुत्र स्व शिवकुमार उम्र 42 वर्ष नि0 गोपालपुर थाना मलवां जिला फतेहपुर, 2. रमाकान्त शुक्ला पुत्र राम विशाल शुक्ला उम्र 58 वर्ष निवासी सराय सहजादा थाना मलवां फतेहपुर, 3. अश्वनी कुमार पुत्र स्व रामनाथ शेखवार उम्र 46 वर्ष नि0 कृष्णा नगर पुंखराया भोगनीपुर जिला कानपुर देहात हालपता- मो0 छिपाटी थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया था। अभियोग उपरोक्त में नामित तीनों आरोपियों को कुँवरपुर रोड भैरमपुर तिराहा थाना बिन्दकी फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय**

कुँवरपुर रोड भैरमपुर तिराहा थाना बिन्दकी, दिनांक 25.07.2025 व समय 13.15 बजे।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण**

1. मनोज कुमार पुत्र स्व शिवकुमार उम्र 42 वर्ष नि0 गोपालपुर थाना मलवां जिला फतेहपुर
2. रमाकान्त शुक्ला पुत्र राम विशाल शुक्ला उम्र 58 वर्ष निवासी सराय सहजादा थाना मलवां फतेहपुर
3. अश्वनी कुमार पुत्र स्व रामनाथ शेखवार उम्र 46 वर्ष नि0 कृष्णा नगर पोखराया भोगनीपुर जिला कानपुर देहात हालपता- मो0 छिपाटी थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर ।



**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. प्रभारी निरीक्षक लान सिंह थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
2. हे0का0 सुमेश यादव
3. का0 चन्द्र कुमार
4. का0 दीपक वर्मा

**सोशल मीडिया सेल**

**जनपद फतेहपुर**